

परिषिष्ट – थ1

[नियम 96 देखिये]

प्लिंथ लेवल चेक/प्लिंथ सर्टिफिकेट हेतु एकल संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

(पंजीकृत वास्तुविद/इंजीनियर/अन्य..... और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदन का प्रस्ताव
2. आवेदक का नाम
3. अनुमति क्रमांक एवं दिनांक
4. स्थल निरीक्षण का दिनांक
5. ग्राम का नाम/वार्ड क्रमांक एवं नाम
6. क्या स्थिति नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार है
7. क्या भूखंड का आकार एवं दिशाये/ आकार मानचित्र के अनुसार है
8. वर्तमान सेटबैक के सामने
9. वर्तमान सेटबैक के पीछे
10. वर्तमान सेटबैक एक बाजू/दायीं ओर
11. वर्तमान सेटबैक दूसरे बाजू/बायीं ओर
12. भवन अनुज्ञा के दौरान प्रस्तुत अनुमोदित योजना/पीछला स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में कोई भिन्नता पाया गया है, हां/नहीं
यदि हां तो भिन्नता निम्नानुसार है:-
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया तथा उपरोक्त रिपोर्ट भी मेरे द्वारा तैयार/सत्यापित किया गया है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
विभाग
दिनांक